



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2019/भाद्र 18, 1941

No. 314]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2019/BHADRA 18, 1941

**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 सितंबर, 2019

**आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016**

**(2019 का संख्या 3)**

सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13)/खंड-II (2019 का संख्या 3).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 54 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के उप-खंड (बी), (ई), (जे), (वी) और (एक्स) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन), विनियम, 2016 (2016 का 2) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**

- (1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का संख्या 3) कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

**2. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 की अनुसूची II [विनियम 10(2) में संदर्भित] में संशोधन।**

- (1) अनुसूची-II में, सूची-क (पहचान का प्रमाण) दस्तावेज में क्रम संख्या 19 से 31, सूची-ख (पते का प्रमाण) दस्तावेज में क्रम संख्या 34 से 44, सूची-ग (संबंध दर्शाने वाला प्रमाण) दस्तावेज में क्रम संख्या 10 से 14 और सूची-घ (जन्म-तिथि) दस्तावेज में क्रम संख्या 5 से 14 को शामिल किया जाएगा। यह अनुसूची-II में किए गए पूर्व के संशोधनों पर अधिभावी प्रभाव डालेगा। संशोधित अनुसूची-II निम्नवत है:

**अनुसूची-II**  
**सत्यापन हेतु स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची**  
**(इन विनियमों का विनियम 10(2) देखें)**

**सूची क. नाम और फोटो युक्त पीओआई (पहचान का प्रमाण) दस्तावेज**

1. पासपोर्ट
2. पैन कार्ड
3. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
4. मतदाता पहचान पत्र
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
7. नरेगा जॉब कार्ड
8. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
9. हथियार लाइसेंस
10. फोटो बैंक एटीएम कार्ड
11. फोटो क्रेडिट कार्ड
12. पेंशनभोगी फोटो कार्ड
13. स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड
14. किसान फोटो पासबुक
15. सीजीएचएस/ईसीएचएस फोटो कार्ड
16. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड
17. लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो की पहचान संबंधी प्रमाणपत्र
18. संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र
19. भामाशाह कार्ड
20. मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके सरकारी लेटरहेड पर प्रमाणपत्र
21. लेटरहेड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
22. ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
23. नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना
24. फोटोयुक्त विवाह प्रमाणपत्र
25. आरएसबीवाई कार्ड
26. माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की प्रमाणपत्र बुक, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो लगा हो
27. फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र
28. नाम और फोटो सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)
29. नाम और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण
30. नाम और फोटो वाली बैंक की पासबुक
31. संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र

**सूची ख. नाम और पते वाले पीओए (पते का प्रमाण) दस्तावेज**

1. पासपोर्ट
2. बैंक स्टेटमेंट/पासबुक
3. डाक घर खाता विवरण/पासबुक
4. राशन कार्ड
5. मतदाता पहचान पत्र
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
8. बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
9. पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
10. टेलीफोन लैंडलाइन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
11. संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से अधिक पुरानी न हो)
12. क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
13. बीमा पॉलिसी
14. लेटरहेड पर बैंक द्वारा हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र
15. लेटरहेड पर पंजीकृत कंपनी द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र
16. लेटरहेड पर मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र या मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पते सहित फोटोयुक्त पहचान पत्र
17. नरेगा जॉब कार्ड
18. हथियार लाइसेंस
19. पेंशनभोगी कार्ड
20. स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
21. किसान पासबुक
22. सीजीएचएस/ईसीएचएस कार्ड
23. लेटरहेड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
24. ग्राम पंचायत प्रमुख या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
25. आयकर निर्धारण आदेश
26. वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र
27. पंजीकृत बिक्री/पंजीकृत पट्टा/पंजीकृत किराया अनुबंध
28. डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पता कार्ड
29. राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति और निवास प्रमाणपत्र
30. संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र
31. गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
32. पति/पत्नी का पासपोर्ट
33. माता-पिता का पासपोर्ट (अवयस्क के मामले में)

34. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आवास आबंटन पत्र (3 वर्ष से अधिक पुराना न हो)
35. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र, जिसमें नाम एवं पते का उल्लेख हो
36. भामाशाह कार्ड
37. मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके लेटरहेड पर प्रमाणपत्र
38. लेटरहेड पर नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटोयुक्त पता प्रमाणपत्र
39. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र
40. फोटोयुक्त एसएसएलसी बुक
41. विद्यालय का पहचान पत्र
42. नाम और पता सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)
43. नाम, पता और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण
44. संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, पता और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र

**सूची ग. आवेदक का नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) का नाम सहित पीओआर (संबंध दर्शाने वाला प्रमाण) दस्तावेज**

1. पीडीएस कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. सीजीएचएस/राज्य सरकार/ईसीएचएस/ईएसआईसी चिकित्सा कार्ड
4. पेंशन कार्ड
5. सेना कैंटीन कार्ड
6. पासपोर्ट
7. जन्म पंजीयक, नगर निगम और तालुक, तहसील आदि जैसे अन्य अधिसूचित स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
8. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी परिवार पात्रता का कोई अन्य दस्तावेज
9. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र
10. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड
11. भामाशाह कार्ड
12. बच्चे के जन्म उपरांत सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची
13. लेटरहेड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
14. ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया द्वारा जारी परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाता फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)

**सूची घ. नाम और जन्म तिथि युक्त डीओबी (जन्म तिथि) दस्तावेज**

1. जन्म प्रमाणपत्र
2. माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की प्रमाणपत्र बुक/प्रमाणपत्र
3. पासपोर्ट

4. लेटरहेड पर समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
5. सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाणपत्र (या कार्ड), जिस पर हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों
6. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जन्म तिथि सहित
7. पैन कार्ड
8. किसी भी सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक-पत्र (मार्कशीट)
9. सरकारी फोटो पहचान पत्र कार्ड/पीएसयू द्वारा जारी जन्म तिथि वाला फोटो पहचान पत्र
10. केंद्र/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
11. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
12. स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाण पत्र (टीसी), जिसमें नाम और जन्म-तिथि इंगित हो
13. स्कूल के प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण, जिसमें नाम, जन्म तिथि और फोटो निहित हो
14. संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, जन्म तिथि और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र.

डॉ. अजय भूषण पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
[विज्ञापन-III/4/असा./201/19]

**नोट :** मुख्य विनियमों को दिनांक 14 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/ विधि/यूआईडीएआई (2016 का 2) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित किया गया था। इन विनियमों को बाद में दिनांक 15 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का 1); दिनांक 07 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का 2); दिनांक 11 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का 3); दिनांक 31 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का 5); 12 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13) (2018 का 1) तथा 31 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13) (2018 का 2) के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में संशोधित और प्रकाशित किया गया था।

## THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2019

### AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (SEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2016 (No. 3 of 2019)

**No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13)/Vol.II (No. 3 of 2019).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (b), (e), (j), (v) and (x) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), namely:—

**1. Short title and commencement.—**

- (1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Seventh Amendment) Regulations, 2019 (No. 3 of 2019).
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment to Schedule II [referred in Regulation 10(2)] of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.**

(I) In Schedule II, in List A (Proof of Identity) documents at Sl. Nos. 19 to 31, in List B (Proof of Address) documents at Sl. Nos. 34 to 44, in List C (Proof of Relationship) documents at Sl. Nos. 10 to 14 and in List D (Date of Birth) documents at Sl. Nos. 5 to 14 shall be inserted. This shall have overriding effect to earlier amendments in Schedule-II. The amended schedule II is as below:

**SCHEDULE II**  
**List of acceptable supporting documents for verification**  
**(See Regulation 10(2) of these Regulations)**

**List A. POI (Proof of Identity) documents containing Name and Photo**

1. Passport
2. PAN Card
3. Ration/ PDS Photo Card
4. Voter ID
5. Driving License
6. Government Photo ID Cards/ service photo identity card issued by PSU
7. NREGS Job Card
8. Photo ID issued by Recognized Educational Institution
9. Arms License
10. Photo Bank ATM Card
11. Photo Credit Card
12. Pensioner Photo Card
13. Freedom Fighter Photo Card
14. Kissan Photo Passbook
15. CGHS / ECHS Photo Card
16. Address Card having Name and Photo issued by Department of Posts
17. Certificate of Identity having photo issued by Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
18. Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations
19. Bhamashah Card
20. Certificate from Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognized shelter homes for orphanages, homes etc on their official letterhead
21. Certificate of Identity having photo issued by MP or MLA or MLC or Municipal Councillor on letterhead
22. Certificate of Identity having photo issued by village panchayat head or mukhiya (for rural areas)
23. Gazette notification for name change
24. Marriage certificate with photograph
25. RSBY Card
26. SSLC book having candidates photograph
27. ST/ SC/ OBC certificate with photograph
28. School Leaving Certificate (SLC) / School Transfer Certificate (TC), containing name and photograph
29. Extract of School Records issued by Head of School containing name and photograph
30. Bank Pass Book having name and photograph
31. Certificate of Identity containing name and photograph issued by Recognized Educational Institution signed by Head of Institute

**List B. POA (Proof of Address) documents containing Name and Address**

1. Passport
2. Bank Statement/Passbook
3. Post Office Account Statement/Passbook
4. Ration Card
5. Voter ID
6. Driving License

7. Government Photo ID cards/service photo identity card issued by PSU
8. Electricity Bill (not older than 3 months)
9. Water Bill (not older than 3 months)
10. Telephone Landline Bill (not older than 3 months)
11. Property Tax Receipt (not older than 1 year)
12. Credit Card Statement (not older than 3 months)
13. Insurance Policy
14. Signed Letter having Photo from Bank on letterhead
15. Signed Letter having Photo issued by registered Company on letterhead
16. Signed Letter having Photo issued by Recognized Educational Institution on letterhead or Photo ID having address issued by Recognized Educational Institution
17. NREGS Job Card
18. Arms License
19. Pensioner Card
20. Freedom Fighter Card
21. Kissan Passbook
22. CGHS / ECHS Card
23. Certificate of Address having photo issued by MP or MLA or MLC or Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
24. Certificate of Address issued by Village Panchayat head or its equivalent authority (for rural areas)
25. Income Tax Assessment Order
26. Vehicle Registration Certificate
27. Registered Sale / Lease / Rent Agreement
28. Address Card having Photo issued by Department of Posts
29. Caste and Domicile Certificate having Photo issued by State Govt
30. Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations
31. Gas Connection Bill (not older than 3 months)
32. Passport of Spouse
33. Passport of Parents (in case of Minor)
34. Allotment letter of accommodation issued by Central/State Govt. of not more than 3 years old
35. Marriage Certificate issued by the Government, containing address
36. Bhamashah card
37. Certificate from Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognized shelter homes for orphanages, homes etc. on letter head
38. Certificate of address having photo issued by Municipal Councillor on letterhead
39. Identity Card issued by recognized educational institutions
40. SSLC book having photograph
41. School Identity card
42. School Leaving Certificate (SLC) / School Transfer Certificate (TC), containing Name and Address
43. Extract of School Records containing Name, Address and Photograph issued by Head of School
44. Certificate of Identity containing Name, Address and Photograph issued by Recognized Educational Institution signed by Head of Institute

**List C. POR (Proof of Relationship) documents containing Name of applicant and Name of HoF (Head of Family)**

1. PDS Card
2. MNREGA Job Card
3. CGHS/State Government/ECHS/ESIC Medical card
4. Pension Card
5. Army Canteen Card
6. Passport
7. Birth Certificate issued by Registrar of Birth, Municipal Corporation and other notified local government bodies like Taluk, Tehsil etc.
8. Any other Central/State government issued family entitlement document
9. Marriage Certificate issued by the government
10. Address card having name and photo issued by Department of Posts
11. Bhamashah card
12. Discharge card/ slip issued by Government hospitals for birth of a child

13. Certificate of Identity having photo issued by MP or MLA or MLC or Municipal Councillor or Gazetted Officer on letterhead
14. Certificate of Identity having photo and relationship with HoF issued by village panchayat head or mukhiya (for rural areas)

**List D. DOB (Date of Birth) documents containing Name and DOB**

1. Birth Certificate
2. SSLC Book/Certificate
3. Passport
4. Certificate of Date of Birth issued by Group A Gazetted Officer on Letterhead
5. A certificate or ID Card having photo and Date of Birth (DOB) duly signed and issued by a Government authority
6. Photo ID card having Date of Birth, issued by Recognized Educational Institution
7. PAN Card
8. Marksheet issued by any Government Board or University
9. Government Photo ID Card/ Photo Identity Card issued by PSU containing DOB
10. Central/ State Pension Payment Order
11. Central Government Health Service Scheme Photo Card or Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Photo card
12. School Leaving Certificate (SLC) / School Transfer Certificate (TC), containing Name and Date of Birth
13. Extract of School Records issued by Head of School containing Name, Date of Birth and Photograph
14. Certificate of Identity containing Name, DOB and Photograph issued by Recognized Educational Institution signed by Head of Institute

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./201/19]

**Note :** The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 2 of 2016) dated 14<sup>th</sup> September, 2016. These regulations were subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notifications No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 1 of 2017) dated 15<sup>th</sup> February, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 2 of 2017) dated 7<sup>th</sup> July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 3 of 2017) dated 11<sup>th</sup> July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 5 of 2017) dated 31<sup>st</sup> July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13) (No. 1 of 2018) dated 12<sup>th</sup> January, 2018 and No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13) (No. 2 of 2018) dated 31<sup>st</sup> July, 2018.